

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 29/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/44

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान
जसोल जरिए सचिव गजेन्द्रसिंह पुत्र
हिम्मतसिंह जाति राजपूत
निवासी जसोल तहसील पंचपदरा व
जिला बालोतरा

1.नगर परिषद बालोतरा जरिए आयुक्त
नगरपरिषद बालोतरा तहसील पंचपदरा व
जिला बालोतरा

2.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार
पंचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 09.06.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी संस्थान की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 190 क्षेत्रफल 0.5827 हैक्टेयर व खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 1.0441 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी संस्थान का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी संस्थान की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी संस्थान की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी संस्थान द्वारा ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 190 क्षेत्रफल 0.5827 हैक्टेयर व खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 1.0441 हैक्टेयर भूमि की नेंखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री जेटूलाल कुमावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। नवाई विप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी संस्थान की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 190 क्षेत्रफल 0.5827 हैक्टेयर व खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 1.0441 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है, प्रार्थी संस्थान की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी संस्थान की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी संस्थान की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी संस्थान की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगडालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी संस्थान को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी संस्थान द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी संस्थान की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी संस्थान की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 190 क्षेत्रफल 0.5827 हैक्टेयर व खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 1.0441 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 190 क्षेत्रफल 0.5827 हैक्टेयर व खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 1.0441 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संस्थान की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी संस्थान विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी संस्थान हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 22.11.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) जयपुर

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी संस्थान भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जसोल पटवार हल्का जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 190 क्षेत्रफल 0.5827 हैक्टेयर व खसरा संख्या 195 क्षेत्रफल 1.0441 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है।


(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 09.06.2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा